



2026:AHC:169931

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27485 वर्ष 2026

गुड्डू

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संदीप कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. विद्वान एजीए ने बताया कि इस प्रार्थना-पत्र की सूचना विपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता को 27.07.2026 को और विपक्षी संख्या 4/सी.डब्ल्यू.सी. को 28.07.2026 को दिया गया था। विद्वान एजीए द्वारा पेश की गई रसीदें अभिलेख पर ले ली गई हैं। हालाँकि, उक्त विपक्षीगणों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्रकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-विपक्षी के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनंद के तर्क सुने। अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखा।

3. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 296/2026 (धारा 64, 137(2) बीएनएस और धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना- बड़ौत, ज़िला- बागपत) में विचारण के दौरान प्रार्थना-पत्रकर्ता को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दाखिल की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. प्रार्थना-पत्रकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थना-पत्रकर्ता को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। घटना 24.04.2026 को होने का आरोप है, जबकि प्राथमिकी 06.05.2026 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में बहुत ज़्यादा देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए नुकसानदेह है। पीड़िता बालिग है। पीड़िता के माता-पिता ने उसे जीवन में लाभ दिलाने के लिए विद्यालय अभिलेख में उसकी उम्र गलत दर्ज करवाई थी। विद्यालय अभिलेख में पीड़िता की उम्र से संबंधित प्रविष्टि का कोई विधिक आधार नहीं है और की गई प्रविष्टि अविश्वसनीय हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता ने धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयानों में कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी, प्रार्थना-पत्रकर्ता के साथ गई थी, उससे शादी की थी और उसके साथ संबंध बनाए थे। प्रार्थना-पत्रकर्ता के खिलाफ ज़बरदस्ती हमला करने का कोई आरोप नहीं है। प्रार्थना-पत्रकर्ता 14.05.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

5. विद्वान एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन अभिलेख के आधार पर ऊपर बताए गए तर्कों का संतोषजनक ढंग से खंडन नहीं कर सके।

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने और अभिलेख देखने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह पाता है कि प्राथमिकी देर से दर्ज की गई थी। पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी, आवेदक के साथ गई थी, उससे शादी की थी और उसके साथ संबंध बनाए थे। आवेदक पर ज़बरदस्ती हमला करने का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा, आवेदक लगभग तीन महीने से जेल में है और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी विचारण के जल्द पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य की ओर से ऐसी कोई वाजिब आशंका नहीं जताई गई है कि ज़मानत पर रिहा होने पर आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, विचारण में देरी करेगा या गवाह को डराएगा-धमकाएगा। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. उक्त मामले में शामिल आवेदक गुड्डू को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;
 - iii. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर पेश होगा।
8. ऊपर दी गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत निरस्त करने की प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

13 अगस्त, 2026

अभिषेक